आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Department of Animal Husbandry, Uttarakhand

Establishment of Broiler Farms (Uttarakhand)

उत्तराखंड के पशुपालन विभाग की योजना, जो कम से कम 500 पक्षियों का ब्रॉयलर फार्म शुरू करने पर अनुदान देती है और सभी जातियों के लिए खुली है।

क्या मिल सकता है

प्रति पक्षी 15 रुपये का अनुदान, 6 बैच में प्रति लाभार्थी अधिकतम 45,000 रुपये, और यार्ड निर्माण के लिए 15,000 रुपये, यानी कुल 60,000 रुपये। 500 पक्षियों की इकाई की लागत 3.05 लाख रुपये है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के किसी भी जाति के निवासी, जिनके पास अपनी या पट्टे की जमीन है और जो कम से कम 500 पक्षियों का ब्रॉयलर फार्म शुरू करना चाहते हैं। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक उत्तराखंड का निवासी हो।
- योजना सभी जातियों के लिए खुली है, और महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता मिलती है।
- आवेदक के पास अपनी या पट्टे की जमीन हो और केवाईसी पूरा हो।
- फार्म की क्षमता कम से कम 500 ब्रॉयलर पक्षियों की हो।
- जांच के बाद जिला कार्यकारी समिति लाभार्थियों का चयन करती है।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- जमीन से जुड़े प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. पशु चिकित्साधिकारी या पशुधन प्रसार अधिकारी से मिलें, जो लाभार्थियों की पहचान करके आवेदन लेते हैं।
2. आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और जमीन के प्रमाण पत्र दें।
3. पशु चिकित्साधिकारी परियोजना रिपोर्ट बनाते हैं, और आप उसे बैंक में जमा करते हैं।
4. सभी आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, और जिला कार्यकारी समिति लाभार्थियों का चयन करके अनुदान देती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://ahd.uk.gov.in/scheme/establishment-of-broiler-farms/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-broiler-farm-establishment/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।